

राजस्थान सरकार
ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
(अनुभाग-3, महात्मा गांधी नरेगा) शासन सचिवालय, जयपुर



क्रमांक:- एफ 10 (6) ग्रावि/नरेगा/जेटीए/2010/59820

जयपुर, दिनांक 22 DEC 2016

जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस
एवं जिला कलक्टर,
समस्त राजस्थान।

22 DEC 2016

विषय:- महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत संविदा पर कनिष्ठ तकनीकी सहायकों के रिक्त पदों को भरने के क्रम में।


संदर्भ :- विभाग के समसंख्यक पत्र दिनांक 07.09.2016, 17.11.2016, 07.12.2016 एवं 16.12.2016

महोदय,

उपरोक्त विषयान्तर्गत संदर्भित पत्रों द्वारा महात्मा गांधी नरेगा योजनान्तर्गत कनिष्ठ तकनीकी सहायक के पदों को संविदा पर पूर्ण पारदर्शिता के साथ भरने के निर्देश दिये गये थे। आपके द्वारा जिन कनिष्ठ तकनीकी सहायकों की भर्ती की जा रही है, उन्हें नियुक्ति पत्र देने से पूर्व यह सुनिश्चित किया जावे कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज फर्जी तो नहीं है। संदेह की स्थिति में संबंधित संस्थान से दस्तावेजों का सत्यापन करा लिया जावे।

चयनित किये गये कनिष्ठ तकनीकी सहायकों से अनुबन्ध किये जाने से पूर्व उनके द्वारा प्रस्तुत मूल दस्तावेज यथा अंक तालिका, डिग्री, प्रमाण पत्र आदि का सत्यापन किया जावे। यह भी सुनिश्चित कर लिया जावे कि उनके द्वारा प्रस्तुत दस्तावेज उत्तर पूर्व राज्यों एवं अन्य राज्यों के फर्जी संस्थानों से तो नहीं प्राप्त किये गये हैं।


भवदीय


(राजीव सिंह ठाकुर)

शासन सचिव, ग्रामीण विकास

प्रतिलिपि:-

1. अति जिला कार्यक्रम समन्वयक, ईजीएस एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी जिला परिषद जिला समस्त राजस्थान।


अतिरिक्त आयुक्त (प्रथम) ईजीएस